



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
(निर्णय दिनांक— 02/05/2023 को सुरक्षित रखा गया)
(दिनांक— 20/06/2023 को निर्णय पारित किया गया)

ए आर बी ए नंबर— 07/2019

मेसर्स नवाकर इंडस्ट्रीस
एम.आई.जी.— 59, सेक्टर—1,
शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)

..... अपीलार्थी ।

विरुद्ध

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर 880,
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

..... उत्तरवादी ।

अपीलार्थी द्वारा श्री अभिनव कार्डेकर अधिवक्ता तथा श्री मेहा कुमार अधिवक्ता ।
उत्तरवादी द्वारा श्री आशिष सुराना अधिवक्ता तथा श्री चेतन सिंह चौहान
अधिवक्ता ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुरी
एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल
सीएवी निर्णय

1. वर्तमान अपील विद्वान न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तरीय) रायपुर द्वारा पारित दिनांक 14.11.2018 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें निम्न न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 04.10.2017 के मध्यस्थता निर्णय को आंशिक रूप से निरस्त करने के लिए दायर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1996' कहा जाएगा) की धारा 34 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी निर्माण व्यवसाय से जुड़ी एक स्वामित्व वाली फर्म है। 1994 में जारी एक निविदा के अनुसार, अपीलार्थी ने तत्कालीन एमपी मार्कफेड के विनिर्देशों के अनुसार पारबॉयलिंग प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण



और कमीशनिंग के लिए दिनांक 19.12.1994 को अनुबंध किया और तदनुसार 11 विभिन्न स्थानों पर चावल मिल का निर्माण किया जाना था, जिसके लिए प्रति प्लांट 15,84,000/- रुपये का भुगतान किया जाना तय हुआ। कार्य आदेश 25.12.1994 को जारी किया गया था और अपीलार्थी को कार्य आदेश जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर काम पूरा करना था। विभिन्न कारणों से समय पर काम पूरा नहीं हो सका और शुरु में समय सीमा बढ़ा दी गई, जिससे विवाद हुआ। वर्ष 1998 में अपीलकर्ता ने मध्यस्थ के समक्ष दावा याचिका दायर की, जो मार्कफेड के प्रबंध निदेशक हैं। तत्पश्चात, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य अस्तित्व में आया और उसके बाद, काफी समय बीत जाने के बाद, मामले को छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.07.2017 के आदेश द्वारा निर्देश पारित किया कि तीन महीने की समय सीमा के भीतर दावे का निपटारा किया जाएगा।

3. अपीलकर्ता ने विभिन्न शीर्षों पर 11 संयंत्रों के लिए 1,47,12,580/- रुपये की राशि का दावा किया। मध्यस्थ ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से 6% की दर से साधारण ब्याज के साथ केवल 79,200/- रुपये की सीमा तक के दावे को अनुमति दी। इस आदेश के विरुद्ध वाणिज्यिक न्यायालय में अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे खारिज कर दिए जाने के बाद वर्तमान अपील दायर की गई है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संयंत्र के निर्माण में देरी मुख्य रूप से स्थल की अनुपलब्धता के कारण हुई, जिसे प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था और जब भुगतान के बारे में विवाद उत्पन्न हुआ, तो दावा हालांकि 1997 में तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य में दायर किया गया था, लेकिन 2017 तक कुछ नहीं हुआ। अंततः, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अपीलकर्ता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करना पड़ा, जिसमें उच्च न्यायालय ने 05.07.2017 को निर्धारित समय के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश पारित किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उसके बाद मध्यस्थ ने 04.10.2017 को अधिनिर्णय पारित किया और जब तक मध्यस्थ ने अधिनिर्णय पारित किया, तब तक वह अधिनियम की धारा 12 के संशोधन द्वारा अयोग्य हो गया, जिसमें उप-धारा (5) डाली गई थी, जो नई जोड़ी गई सातवीं अनुसूची को संदर्भित करती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रावधान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से रोकता है यदि



उसका संबंधित पक्षकार के किसी सहयोगी पर नियंत्रणकारी प्रभाव है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ 23.10.2015 को संशोधित धारा 12 की उप-धारा (5) का लक्ष्य और उद्देश्य प्रबंध निदेशक को तब न्यायनिर्णयन के लिए अयोग्य बनाता है जब मध्यस्थ के रूप में जारी रखने और अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कोई अलग लिखित समझौता मौजूद नहीं है। उन्होंने जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बनाम मेसर्स अजय सेल्स एंड सप्लायर्स {(2021) 17 एससीसी 248} और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड {(2019) 5 एससीसी 755} में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक न्याय निर्णयन पर भरोसा किया और तर्क दिया कि अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायपूर्ण, स्वतंत्रता और निष्पक्षता लाने के लिए, जब मध्यस्थ की तटस्थता प्रश्न में हो और वैधानिक बाधा उत्पन्न हो, तो उसके द्वारा पारित कोई भी अधिनिर्णय अमान्य होगा। उन्होंने आगे कहा कि अधिनिर्णय की भाषा से पता चलता है कि शब्दों को उत्तर के अभिवचन से शब्दशः उठाया गया था, क्योंकि मध्यस्थ स्वयं प्रबंध निदेशक थे, जिनका प्रतिवादी मार्कफेड पर नियंत्रणकारी प्रभाव था। उन्होंने आगे कहा कि जब कानून पक्षपात के तथ्य के साथ एक बाधा उत्पन्न करता है, तो मध्यस्थ ऐसा अधिनिर्णय पारित नहीं कर सकता था। उन्होंने आगे कहा कि परिस्थितियों के तहत, मामले को नए नियुक्त किए जाने वाले किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा नए सिरे से न्यायनिर्णयित किए जाने की आवश्यकता है।

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि शुरू में मध्यस्थता कार्यवाही अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी, लेकिन लंबे समय के बाद 04.11.2016 को अपीलकर्ता ने धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर किया और उच्च न्यायालय के 05.07.2017 के आदेश से पता चलता है कि उसके अनुसार मार्कफेड के प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया गया था, जिससे व्याख्या यह होगी कि अपीलकर्ता ने प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के साथ सहमति व्यक्त की थी, जो मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे थे और अपीलकर्ता ने उक्त कार्यवाही में भाग लिया था। संपदा योगेश वाघधर बनाम महाराष्ट्र राज्य {(2019) 5 एससीसी 682} में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक मामले के कानून पर भरोसा किया जाता है कि एक बार मध्यस्थ नियुक्त होने के बाद, ऐसी नियुक्ति पर सहमत पक्ष अलग रुख नहीं अपना सकते। उन्होंने आगे निवेदन किया कि जो आधार उठाए गए हैं इस न्यायालय के समक्ष वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष नहीं उठाए गए थे और पक्षपात के संबंध में, यह कहा गया है कि दावा केवल नुकसान के संबंध में था और



अपीलकर्ता की प्रार्थना कि अधिनिर्णय को आंशिक रूप से अलग रखा जाए, अधिनियम, 1996 की धारा 34 के बाद के संशोधन के मद्देनजर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एमएमटीसी लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड, (2019) 4 एससीसी 163 और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम गणेश कंटेनर मूवर्स सिंडिकेट {(2019) 3 एससीसी 282} पर भरोसा किया और निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित होगा, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। वर्तमान मामले में, निविदा तत्कालीन एमपी के मार्कफेड द्वारा जारी की गई थी। दिनांक 17.05.1994 को तत्पश्चात दिनांक 19.12.1994 को अनुबंध निष्पादित किया गया तथा अनुबंध की स्पष्ट शर्तों के अनुसार दिनांक 23.12.1994 को कार्य आदेश जारी किया गया। वर्ष 1995-1996 में विभिन्न कारणों से समय विस्तार मांगा गया, जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा स्वीकृत कर दिया गया तथा दिनांक 24.05.1996 से 02.05.1997 के मध्य कार्य पूर्ण कर म.प्र. मार्कफेड को सौंप दिया गया। विवाद उत्पन्न होने पर अनुबंध खण्ड का हवाला देकर दिनांक 16.08.1998 को एम. डी. मार्कफेड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात एम.डी. मार्कफेड ने अपनी प्रक्रिया प्रारंभ की। इसी बीच मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप नया छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। चूंकि लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष एआरबीए संख्या 74/2016 के तहत मध्यस्थता आवेदन दायर किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने 05.07.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“(1) प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री अन्बलगन पी., प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर संयुक्त रूप से निवेदन किया कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ से अभिलेख प्राप्त करने के पश्चात आज से तीन माह की अवधि के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। (2) उपरोक्त कथन को अभिलेख पर लिया गया है। (3) श्री अन्बलगन पी., प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर निवेदन करते हैं कि उन्होंने अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने कोई जवाब नहीं दिया है। (4) जैसा भी हो, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ अभिलेख का पता लगाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को शीघ्र उपलब्ध कराएगा। (5) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, मध्यस्थता आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।”



7. अपीलकर्ता का तर्क है कि अधिनियम, 1996 में 23.10.2015 को संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 12 में उपधारा (5) जोड़ी गई थी, जो इस प्रकार पठित है: “इसके विपरित किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध, पक्षों या वकील या विवाद के विषय-वस्तु के साथ, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र होगा: परन्तु पक्षकार, बाद में उनके बीच विवाद उत्पन्न होने पर, लिखित रूप में स्पष्ट समझौते द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।”

8. अपीलकर्ता का दावा है कि प्रबंध निदेशक, प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते या प्रतिवादी मार्कफेड के किसी सहयोगी में समान नियंत्रण प्रभाव रखने के कारण मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होगा, क्योंकि मध्यस्थ का किसी पक्ष के साथ संबंध स्पष्ट रूप से निषिद्ध है, जब उसका किसी पक्ष के साथ कोई अन्य अतीत या वर्तमान संबंध है, जो कर्मचारी, सलाहकार, सलाहकार आदि है। अपीलकर्ता ने (2021) 17 एससीसी 248 और (2019) 5 एससीसी 755 में रिपोर्ट किए गए केस लॉ पर भरोसा किया, यह दिखाने के लिए कि यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 12 (5) एक नया प्रावधान है जो मध्यस्थ की इस तरह कार्य करने की अक्षमता से संबंधित है। इस प्रावधान के तहत, धारा 12 (5) में गैर-बाधा खंड द्वारा विपरीत कोई भी पूर्व समझौता मिटा दिया जाता है, जिस समय कोई व्यक्ति जिसका पक्षों या वकील या विवाद के विषय के साथ संबंध सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संक्षेप में, यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 12 (5) जो किसी पूर्व समझौते के अस्तित्व के बावजूद मध्यस्थ की विधि सम्मत अक्षमता से संबंधित है, जब तक कि धारा 12 (5) के गैर-बाधा खंड द्वारा विपरीत को मिटा नहीं दिया जाता है, अधिनिर्णय शून्य होगा और यहां तक कि इसमें पक्ष की भागीदारी भी उस दोष को ठीक नहीं करेगी जो प्रकृति में निहित है क्योंकि कानून के अधिनियम द्वारा वह अयोग्य हो जाता है।

9. जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बनाम मेसर्स अजय सेल्स एंड सप्लायर्स {(2019) 17 एससीसी 248} में जिस मामले पर भरोसा किया गया है, वह इस मामले के तथ्यों की तुलना में थोड़ा अलग होगा। उसी पर, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा भरोसा रखा गया है। उस मामले में हालांकि समझौता 19.12.1994 को किया गया था, लेकिन मध्यस्थ के पास 19.10.2019 को पहुंचा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड {(2019) 5 एससीसी 755} के मामले में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के कारण, प्रतिवादी द्वारा 03.01.2017 से मध्यस्थता खंड लागू किया



गया था। इस मामले में, विवाद 16.08.1998 को उत्पन्न हुआ और काफी समय के बाद, मध्यस्थता के लिए आवेदन दायर किया गया और मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और कार्यवाही निष्क्रिय अवस्था में थी, इसलिए मामले को फास्ट-ट्रैक करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश से यह भी पता चलता है कि कोई नई मध्यस्थता कार्यवाही शुरू नहीं की गई और केवल पुरानी मध्यस्थता कार्यवाही को निर्धारित समय के भीतर तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया।

10. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12 पक्षों को आधार प्रदान करती है, जिसके आधार पर वे किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को उसके पेशेवर वित्तीय या व्यक्तिगत संबंधों से उत्पन्न उचित संदेहों के आधार पर चुनौती दे सकते हैं। धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसार किसी भी संभावित मध्यस्थ को पक्षों के साथ किसी भी पिछले या वर्तमान संबंध का पूर्ण खुलासा करना आवश्यक है। हालांकि, धारा 12(5) का प्रावधान पक्ष की स्वायत्तता और मध्यस्थ की नियुक्ति को प्रभावित करने वाले संभावित पूर्वाग्रह के बीच संतुलन बनाता है। जबकि धारा 12(5) में कहा गया है कि सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाला कोई भी संभावित मध्यस्थ नियुक्ति के लिए अयोग्य होने पर, प्रावधान पक्षों को लिखित में "स्पष्ट समझौते" के माध्यम से ऐसी अयोग्यता को माफ करने की अनुमति देता है। इसलिए अधिनियम यह मानता है कि किसी भी संभावित अयोग्यता को पक्षों द्वारा केवल एक स्पष्ट समझौते के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है, और इस तरह की छूट का अनुमान केवल पक्षों के आचरण से नहीं लगाया जा सकता है। यह स्थिति भारत बोर्डबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (2019) 5 एससीसी 755 (सुप्रा) और एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 3 एससीसी 1 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित की गई है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि दलीलों को दाखिल करना और पक्षों द्वारा केवल भागीदारी को धारा 12(5) के तहत मध्यस्थ की अयोग्यता पर एक अंतर्निहित छूट के रूप में व्याख्या नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने एक स्पष्ट लिखित समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके माध्यम से पक्षकार नियुक्त मध्यस्थ में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, जो धारा 12(5) के तहत अयोग्यता को माफ करने के उनके इरादे को इंगित करता है।



11. अब इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि जब संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस जारी किया जाता है तो क्या पुराना अधिनियम (संशोधन पूर्व अधिनियम) लागू होगा या नया संशोधित अधिनियम 2015। इस पहलू में, संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 21 और 26 प्रासंगिक होगी जो इस प्रकार है: “21. मध्यस्थता कार्यवाही का प्रारंभ।— जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से शुरू होती है जिस तिथि को उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त होता है।

“26. अधिनियम लंबित मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा कार्यवाही.— इस अधिनियम में निहित कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगी, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, लेकिन यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा।

12. यह मुद्दा श्री विष्णु कंस्ट्रक्शन बनाम इंजीनियर इन चीफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 600 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी व्याख्या के लिए आया था, जिसमें यह देखा गया था कि संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 26 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों, लेकिन यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा। यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों 2015 के संशोधन के अस्तित्व में आने के बाद एक अलग प्रक्रिया के लिए सहमत हुए। इसलिए मूल अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से शुरू हुई मानी जा सकती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप, मध्यस्थता कार्यवाही अगस्त, 1998 के महीने में शुरू हुई कही जा सकती है।

13. इसके अलावा बीसीसीआई बनाम कोच्ची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 6 एससीसी 287 के मामले में, न्यायालय ने संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 की व्याख्या करते हुए पैरा 37 से 39 में इस प्रकार कहा:



“37. जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य बात है, जिसमें कहा गया है—

“26. अधिनियम लंबित मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।— इस अधिनियम में निहित कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगी, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों३”

यह है कि: (1) “मध्यस्थ कार्यवाही” और उनके प्रारंभ का उल्लेख मूल अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में किया गया है; (2) प्रयुक्त अभिव्यक्ति “के लिए” है न कि “के संबंध में”; और (3) पक्षकार अन्यथा सहमत हो सकते हैं। जहाँ तक धारा 26 के दूसरे भाग का संबंध है, अर्थात्, वह भाग जिसमें लिखा है, “३ लेकिन यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा” यह स्पष्ट करता है कि अभिव्यक्ति “के संबंध में” का प्रयोग किया गया है; और अभिव्यक्ति “मध्यस्थ कार्यवाही” और “मुख्य अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार” स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

38. यह कि अभिव्यक्ति “मध्यस्थ कार्यवाही” एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को संदर्भित करती है, 1996 के अधिनियम के अध्याय अ के शीर्षक से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:

“मध्यस्थ कार्यवाही का संचालन”

पूरे अध्याय में धारा 18 से 27 शामिल हैं जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थ कार्यवाही के संचालन से संबंधित हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि केवल इन कार्यवाहियों को संदर्भित किया जाता है, अभिव्यक्ति “के संबंध में” के विपरीत अभिव्यक्ति “के लिए” यह स्पष्ट करती है। इसके अलावा, 1996 अधिनियम की धारा 21 का संदर्भ, जो अध्याय अ में दिखाई देता है, और जो मध्यस्थता कार्यवाही की बात करता है, उस तिथि से शुरू होती है जिस दिन विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त होता है, यह भी स्पष्ट करेगा कि यह ये कार्यवाही है, और कोई अन्य नहीं, जो धारा 26 के पहले भाग का विषय-वस्तु बनाती है। इसके अलावा, चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन काफी हद तक प्रकृति में प्रक्रियात्मक है, इसलिए पक्षकार “अन्यथा सहमत हो सकते हैं” और संशोधन अधिनियम को उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू कर सकते हैं जो संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई हैं। संशोधन (संशोधित) अधिनियम की धारा 29-ए में प्रावधान है



समय-सीमा जिसके भीतर मध्यस्थ अधिनिर्णय दिया जाना है। हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1994) 4 एससीसी 602 पृष्ठ 633 पर: 1994 एससीसी (क्रि) 1087, इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 633, पैरा 26) “26..... (iii) प्रत्येक वादी के पास मूल कानून में निहित अधिकार है लेकिन प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है।

(iv) एक प्रक्रियात्मक कानून को आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां इसका परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों का निर्माण करना या पहले से ही किए गए लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा। (अ) एक कानून जो न केवल प्रक्रिया को बदलता है बल्कि नए अधिकार और दायित्व भी बनाता है, उसे संचालन में भावी माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। “यह, अन्य बातों के साथ-साथ, इसलिए है क्योंकि संशोधन (संशोधित) अधिनियम की धारा 29-ए में पहली बार मध्यस्थता अधिनिर्णय बनाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिससे पक्षों को ऐसी समय-सीमा अपनाने का विकल्प दिया गया है, जो प्रकृति में प्रक्रियात्मक होने के बावजूद, असंशोधित अधिनियम के तहत पहले से शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में नए दायित्व बनाती है। यह, निश्चित रूप से, केवल एक उदाहरण है कि क्यों पक्ष अन्यथा सहमत हो सकते हैं और संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित नई प्रक्रिया को मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू कर सकते हैं जो इसके लागू होने से पहले शुरू हुई हैं। धारा 26 के पहले भाग के विपरीत दूसरा भाग है, जहाँ संशोधन अधिनियम को संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू किया गया है। दूसरे भाग में इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह 1996 के अधिनियम की धारा 21 का कोई संदर्भ है। जबकि पहला भाग केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही को संदर्भित करता है, दूसरा भाग मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अदालती कार्यवाही को संदर्भित करता है, और यह इन अदालती कार्यवाही की शुरुआत है जिसका उल्लेख धारा 26 के दूसरे भाग में किया गया है, क्योंकि दूसरे भाग में “मध्यस्थ कार्यवाही के संबंध में” शब्द 1996 अधिनियम की धारा 21 के आवेदन द्वारा नियंत्रित नहीं हैं।

39. इसलिए, धारा 26 कार्यवाही को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बहुत स्पष्टता के साथ, दो प्रकार की कार्यवाहियों में विभाजित करती है – मध्यस्थ कार्यवाही स्वयं, और उसके संबंध में अदालती कार्यवाही। धारा 26 के पहले भाग को नकारात्मक रूप में लिखने का



कारण केवल यह बताना है कि संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होगा यदि पक्ष अन्यथा सहमत हों। यदि धारा 26 के पहले भाग को सकारात्मक भाषा में लिखा गया होता (दूसरे भाग की तरह) एक प्रावधान जोड़ना आवश्यक होता कि संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होगा, यदि पक्ष सहमत हों। किसी भी मामले में, विधायिका का इरादा वही रहता है, नकारात्मक रूप बिल्कुल वही बताता है जो आवश्यक प्रावधान के साथ सकारात्मक रूप से कहा जा सकता था। जाहिर है, “मध्यस्थ कार्यवाही” पहले भाग में शामिल हो गई है, दूसरे भाग में फिर से प्रकट नहीं हो सकती है और इसलिए “मध्यस्थ कार्यवाही के संबंध में” अभिव्यक्ति केवल उन अदालती कार्यवाही पर लागू होगी जो मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित हैं। इस प्रकार धारा 26 की योजना स्पष्ट है: संशोधन अधिनियम प्रकृति में संभावित है, और उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा जो संशोधन अधिनियम पर या उसके बाद शुरू हुई हैं, जैसा कि मुख्य अधिनियम की धारा 21 द्वारा समझा जाता है, और अदालती कार्यवाही पर जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई हैं।

14. इसके अलावा, 2015 संशोधन अधिनियम की धारा 26 के साथ धारा 21 के प्रभाव की जांच सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पावर कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (2017) 15 एससीसी 32 में की और 2015 संशोधन अधिनियम की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए: 22. उपर्युक्त निर्णयों से जो सिद्धांत उभर कर आते हैं, वे हैं: 22.1 यह तथ्य कि नामित मध्यस्थ किसी एक पक्ष का कर्मचारी है, उसके पक्षपात या स्वतंत्रता की कमी की धारणा को बढ़ाने का स्वतः आधार नहीं है। हालांकि, कर्मचारी मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित आशंका हो सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार करने वाला प्राधिकारी था या यदि वह उस अधिकारी का प्रत्यक्ष अधीनस्थ है जिसका निर्णय विवाद का विषय है। 22.1.2. जब तक कि खंड (ए) (बी) या (सी) के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए कार्रवाई का कारण नहीं है। 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

22.1.3. मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को



प्रभावी करने का प्रयास करेंगे। 22.1.4 धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय, यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों, जो नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देती हों, या यदि अन्य परिस्थितियां निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करती हों, तो मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों से नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर किसी अन्य को नियुक्त कर सकते हैं। 22.2 संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद 1996 अधिनियम द्वारा शासित मामलों में: यदि मध्यस्थता खंड संशोधित प्रावधानों के साथ बेईमानी पाता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति भले ही समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुरूप हो, अवैध होगी और इस प्रकार न्यायालय ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करने की अपनी शक्तियों के भीतर होगा, जैसा कि अनुमेय हो। (जोर दिया गया)

15. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2019) 2 एससीसी 488: (2019) 1 एससीसी (सिविल) 748: (एससीसी पृष्ठ 495, पैरा 16) में आगे विचार किया गया है, जो इस प्रकार है: “16. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम अपीलकर्ता के इस तर्क के गुण-दोष पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और न ही उपरोक्त कथन की सत्यता या अन्यथा की जांच करना चाहते हैं।

रत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण रत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम मेजा ऊर्जा निगम (पी) लिमिटेड, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 7808, यह ध्यान देने योग्य है कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 26 के अनुसार, संशोधित 2015 अधिनियम के प्रावधान संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में प्रावधान को संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए पक्षों के बीच समझौता नहीं माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, 2015 संशोधन अधिनियम के प्रावधान 2015 संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि (23.10.2015 से प्रभावी) को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे। वर्तमान मामले में, मध्यस्थता कार्यवाही संशोधित



अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले 2013 में शुरू हुई थी और इसलिए संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

27. हमारा यह भी मानना है कि 2015 संशोधन अधिनियम जो 23.10.2015 को लागू हुआ, वह मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जो 2015 संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले मूल अधिनियम, 1996 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू हुई है, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। (जोर दिया गया)

16. पुनः उक्त प्रस्ताव का पालन श्री विष्णु कंस्ट्रक्शन 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 600 (सुप्रा) में हाल ही में दिए गए निर्णय में किया गया है।

17. भारत संघ बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (2019) 15 एससीसी 682: 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय धारा 442 में, अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत आवेदन के संबंध में, ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता के लिए नोटिस संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले प्राप्त/लागू किया गया है, लेकिन अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत आवेदन संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद दायर किया गया है, पैराग्राफ 25 से 26 में निम्नानुसार देखा गया है: "25. 1.1.2016 तक, 2015 संशोधन अधिनियम राजपत्रित किया गया था और 2015 संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार, इसे 23.10.2015 को लागू माना गया था। 1996 के अधिनियम की धारा 21 में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई है कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती, किसी विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से शुरू होगी जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने का अनुरोध प्राप्त होता है और 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 का स्पष्ट वाचन स्वतः स्पष्ट है, इसमें व्याख्या के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 1996 की धारा 21 और 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 की भाषा को पढ़ते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 21 को धारा 26 के साथ पढ़ने पर इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रावधान ऐसी मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे जो मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू हुई हैं, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों।

18. इसलिए, परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (2019) 15 एससीसी 682 (सुप्रा) में निर्धारित कानून ने विशेष रूप से देखा है कि नया संशोधन अधिनियम जो 23.10.2015 से लागू हुआ है, 2015 संशोधन अधिनियम उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जो मूल अधिनियम, 1996 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार लागू होने से पहले शुरू हुई हैं।



जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों। एस.पी. सांगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2019) 2 एससीसी 488 में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

19. इसलिए, इस मामले में मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, संशोधन अधिनियम 2015 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा अपीलकर्ता ने पक्षपात का मुद्दा उठाते हुए निवेदन किया है कि अधिनिर्णय की भाषा यह दर्शाती है कि उत्तर के अभिवचन शब्दशः इस कारण से अपनाई गई थीं कि मध्यस्थ स्वयं प्रतिवादी का प्रबंध निदेशक था, इसलिए प्रतिवादी मध्यस्थ मध्यस्थ के हित में काम कर रहा था। अपीलकर्ता ने (2019) 20 एस.सी.सी. 1 (मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड) में दर्ज केस लॉ पर भरोसा किया है। हालांकि, अधिनिर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ हिस्सों में अभिवचन को उसी तरह से प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि वह है, लेकिन मुद्दे का सार यह था कि अपीलकर्ता ने अपने दावे को साबित करने के लिए कितने सबूत पेश किए। केवल इस कारण से कि जवाब की ऐसी अभिवचन को अधिनिर्णय में प्रस्तुत किया गया था, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि एम.डी. प्रतिवादी पक्षपाती था और उसने अनुचित तरीके से काम किया। अधिनिर्णय में दिए गए तर्क से पता चलता है कि जो सबूत पेश किए गए थे, उनके खिलाफ उचित विचार किया गया था। साक्ष्य और पर्याप्तता के हिस्से का वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा आगे परीक्षण किया गया है। इसलिए, जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि मध्यस्थ ने पेटेंट अवैधता में काम किया है या अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है, तब तक सैंगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में निकाले गए समान प्रकृति के निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते।

20. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा मानना है कि इस अपील में वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

सही /—
(गौतम भादुरी)
न्यायाधीश

सही /—
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

